Information Bureau attached to the Ministry of Information and Broadcasting sent a circular to all Central Government offices throughout India compelling the staff members that they should sign files and letters in Hindi and that letter should be sent in Hindi to observe the Hindi Week? You cannot take shelter saying that that circular has lapsed. Pandit Jawaharlal Nehru, to alloy the fears of non-Hindi speaking people gave a solemn assurance that Hindi shall not be imposed and that English shall continue. But this Government is throwing this assurance to the winds without taking any care for the feelings of the non-Hindi-speaking people. This Government is trying to impose Hindi on non-Hindi spaking people through covert and overt means. Sir, unity and integrity cannot be strengthened and preserved either by such coercion or by such cajolary as our people are shouting here. (*Interruptions*) Therefore, I would like to know from the hon. Prime Minister ... (*Interruptions*) This is their attitude. This is the House where we can ventilate our grievances. Therefore, I would like to know from the hon. Prime Minister whether he would come forward to give a constitutional guarantee to that assurance of Pandit Jawaharlal Nehru.

SHRI RAJIV GANDHI: Sir, I have already given that assurance on a number of occasions and I do not think it needs to be brought into the Constitution.

MR. CHAIRMAN: Mr. Swaminathan.

SHRI V. GOPALSAMY: You are not honouring that assurance. That is why you have sent a circular.

SHRI RAJIV GANDHI: The hon. Member is totally mistaken. This is not a circular which has been sent for the first time this year. This circular has been sent on a number of occasions many years earlier. There had been no problem in earlier years. It is a circular which is effective only for one week, not more than seven days or perhaps even five days if it is a five-day week. There is no deviation from our stand that Pandit Ji had taken on languages and we do not intend to make any deviation from that stand.

SHRI V. GOPALSAMY: That circular is totally contradictory to the assurance of Pandit Jawaharlal Nehru.

MR. CHAIRMAN: Next question. After the Prime Minister's assurance, no more questions on this.

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, you have called my name.

MR. CHAIRMAN: That was before the Prime Minister's reply. Now, the Prime Minister has given a reply.

SHRI G. SWAMINATHAN: I am not asking that question, Sir.

MR. CHAIRMAN: We take up Question No. 43.

SHRI SHIVRAJ PATIL: Sir, . . .

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने हिन्दी में सवाल पूछा है इसलिये मझे हिन्दी में जवाब दिया जाए । यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं हिन्दी में बोल सकते हैं ।

MR. CHAIRMAN: I do not want this controversy to be raised always. The Minister is at perfect liberty to answer the question in Hindi or English. You cannot compel him to answer in a particular language. Please go on, Mr. Minister.

Disappearance of a model firearm from the Defence pavilion

*43. SHRI RAM AWADESH SINGH:†

SHRI RASHEED MASOOD:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a model firearm, resembling Sten gun, had recently disappeared under mysterious circumstances for some time from the Defence pavilion at Pragati Maidan in Delhi; and

(b) if so, what are the details in this regard, stating the result of the inquiry

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Awadesh Singh.

made into the matter for fixing responsibility for laxity in the security of the exhibits at the Pavilion?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) A sectionised sub-carbine on display at the Defence Pavilion at Pragati Maidan was recently found missing from a show case. This exhibit was recovered from the Pavilion within half an hour of the reporting of the incident.

The Trade Fair Authority of India (TFAI) is responsible for the overall security arrangements in the Pragati Maidan Complex, while another security agency looks after the security of the Defence Pavilion.

An FIR about this incident had been lodged with the Police who are investigating the case.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, यह जो जवाब आया है, इसमें कुछ भी नहीं है । सवाल यह है कि स्टेनगन से मिलता-जुलता जो माडल आर्म्स हैं उसकी पैविलियन से चोरी हुई और उसके बारे में जो इंक्वायरी हुई उसका क्या रिजल्ट है, उसकी डिटैल बताइयें । लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है । सिर्फ यह बात बताई गई है कि पैविलियन पर सेक्योरिटी की जिम्मेवारी ट्रेड फेयर अथोरिटी आफ इंडिया की है इसके साथ-साथ एक बात यह भी बताई गई है कि डिफेंस पैविलियन से चोरी हुई है। यह बात थोड़ी-सी जोड़ दी गई है

"Another security agency looks after the security of the Defence pavilion."

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी बैठाई गई उसका रिजल्ट क्या है ? मेरा स्पेसिफिक यानी स्पष्ट सवाल 'ए' यह है कि 1 अक्तूबर को 1 बजकर 17 मिनट पर प्रगति मैदान के गेट नं० 3... (व्यवधान) । प्रगति मैदान के दरवाजा नं० 3... (व्यवधान) ।

SHRI RASHEED MASOOD Darwaya is an Urdu word.

श्री राम अवधेश सिंह : उर्दू और हिन्दी का चोली-दामन का संबंध है । उर्दू को हिन्दी से अलग नहीं किया जा सकता है और हिंदी को उर्दू से अलग नहीं किया जा सकता है... (व्यवधान) ।

SHRI K. MOHANAN: The so-called advocates of Hindi are the worst adversaries of Hindi.

श्री राम अवधेश सिंह : आप मुझे जरा सवाल पूंछने दीजिये । मैं यह पूंछना चाहता हूं कि 1 अक्तूबर को 1 बजकर 17 मिनट पर प्रगति मैदान के दरवाजा नं० 3 के पास फाइवर ग्लास के पास आग लगी और उस आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई... (व्यवधान) । ये सब हिन्दी के ही शब्द हो गये हैं । श्रीमन्, ये लोग इतने नादान हैं कि ये इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं । अंग्रेजी के जिन शब्दों को जनता पचा लेती है वे हिंदी ही हो जाते हैं । जैसे स्टेशन है । स्टेशन के लिये स्टेशन ही कहना पड़ेगा । रेलवे हैं, मोटरगाड़ी हैं । इनको जनता ने पचा लिया है, इसलिये ये हिंदी के शब्द हो गये हैं । लेकिन आप लोग अंग्रेजी की क्रिया और आब्जेक्टिव लगाते हैं... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. Let him put the question.

श्री राम अवधेश सिंह : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि 1 अक्तूबर को करीब-करीब सवा बजे दिन में प्रगति मैदान के तीसरे नंबर के दरवाजे के पास जो फाइवर ग्लास है वहां पर आग लगी तो अग्नि शमन दस्ते को सूचना दी गई तो वह वहां गया और आग को बुझाने के बाद आधे घंटे के अन्दर यह पाया गया कि यह हथियार वहां से गायब है । तो क्या यह माना जाय कि वह हथियार गायब करने के लिये यह नकली तौर पर आग लगाई गई थी ताकि वहां आग लगने से वहां के वातावरण में गुमराहकारी स्थिति पैदा हो जाये और वहां से लोगों का ध्यान विचलित हो जाय । क्योंकि यह मामला ऐसा था कि जब तक ध्यान इधर

उधर न जाय तब तक चोरी का पता नहीं लगाया जा सकता था । तो क्या इस मामले में यह जोड़ा जाय कि वहां प्रगति मैदान की जो घटना हुई और प्रधान मंत्री पर जो हमला हुआ तो यह कोई ऐसी साजिश थी कि वहां पर से हथियार उठाकर स्टेनगन से उन पर वार किया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उससे संबंधित है? यह एक अक्टूबर की घटना है और दो अक्तूबर को . . .

MR. CHAIRMAN: Please sit down now. Five minutes are over and not two minutes. Now you confine yourself. (*Interruptions*). Please sit down.

श्री राम अवधेश सिंह : पांच मिनट तो इन्होंने लिये । मैंने एक ही मिनट लिया इसमें मेरा कसूर नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Please sit down now. I will give you a second chance.

श्री शिवराज पाटिल : श्रीमन्, यह जो बन्दूक है, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेनगन कहते हैं उसका हिस्सा कटा हुआ है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बन्दूक को अंग्रेजी में स्टेनगन नहीं कहते । . . . (**व्यवधान**) . . . हिन्दी का काफी मजाक बनाया गया है । अगर मजाक बनाना शुरू कर दें तो अंग्रेजी का भी इस तरह से काफी मजाक बन सकता है । (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Order please.

SHRI ATAL BIHARI VVAJPAYEE: Hindi is not a laughting matter in this House. I strongly protest. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Please sit down, all you. (*Interruptions*). Everybody must respect every language. I repeat that everybody must respect the national language. There is no alternative to it. And then what the Minister said was that the instrument was not the stengun and the language was not misused. That is what I understood. He said the instrument was a cut out.

श्री शिवराज पाटिल : श्रीमन्, स्टेनगन के लिये हिन्दी में कोई शब्द नहीं है और यह जो शस्त्र है, वह बन्दूक है, तलवार भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है । यह जो बंदूक है उसके बट का हिस्सा भी कटा हुआ है, उसका बैरल भी दबा हुआ है और दूसरे हिस्से भी कटे हुये हैं । जो भी हथियार, एम्युनिशन पैविलियन में रखे जाते हैं, वहां दालान में रखे जाते हैं वे इनर्ट होते हैं, वे काम करने के योग्य नहीं होते हैं । इस तरह के हथियार वहां पर रखे जाते हैं यह मैं इस संसद की मालूमात के लिये सबसे पहले बताना चाहता हूं ।

दूसरी बात यह है कि उस दिन जो टाइम आप ने दिया है, वक्त जो आपने दिया है उस समय वहां पर आग जरूर लगी थी और उसको बुझाने के लिये अग्नि शमन दल, फायर ब्रिगेड वहां जरूर आया हुआ था और उस समय कुछ एक्सटिंग्युसर "आग बुझाने के लिये जो दूसरे हथियार होते हैं वे पैविलियन में थे । उन्हें ले जाने के लिये वहां पर कुछ लोग आये थे । मगर आधे घंटे के अन्दर इन हथियारों के बारे में यह मालूम हुआ जो इस पत्र में आया है । जो चर्चा हुई उसको देखते हुये इसकी जांच पड़ताल करने के लिये यह काम सी० बी० आई० को दिया गया है, इसको पुलिस भी देख रही है और हमारा डिपार्टमेंट भी देख रहा है । अलग-अलग दृष्टि से, अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग आस्पैक्ट से इसको तरफ देखने की कोशिश की जा रही है । कुछ रिपोर्ट हमारे पास आई हुई हैं लेकिन अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं आई है इसलिये मैं इस पर कोई भाष्य नहीं करना चाहूंगा । मगर जिस प्रकार के हथियार वहां पर रखे गये थे, रखे जाते हैं, उसको देखते हुये कुछ अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं मगर पूरी मालूमात आने तक हम किसी निष्कर्ष पर, किसी कन्क्लूजन पर नहीं आना चाहते हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, प्रतिरक्षा मंत्रालय से इस तरह के सामान गायब होने की लगातार वारदातें होती रहती हैं । अभी ग्वालियर से कमांडो की जो

वर्दियां आ रही थीं उनमें से 100 वर्दियां गायब हो गई, यहां से ये हथियार गायब हो गये। तो महोदय, इसका अर्थ क्या यह लगाया जाय कि ...(व्यवधान)... ये वर्दियां और ये हथियार गायब करके उसके जैसे हथियार बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक से देख लिया कि कैसे बनाया जा सकता है, उसका नक्शा खींच लिया, फिर उसी हथियार को वहां पर रख दिया और उसी तरह से वर्दी की नकल कर ली और फिर उसी तरह की वर्दी कमांडो की तैयार करके कमांडो बनकर हमारे वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्र के कर्णधारों के ऊपर हमला कर दिया तो फिर इसकी क्या गारन्टी है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक होगी ? इसके लिये प्रतिरक्षा मन्त्रालय या गृह मन्त्रालय में किसी की खास जिम्मदारी है क्योंकि जब तक जिम्मदारी नहीं होगी तब तक जिम्मेदारी शिफ्ट होती रहेगी और हमारे ऊपर खतरा बढ़ता रहेगा। क्या इसके बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री शिवराज पाटिल : यह जो सवाल पूंछा गया है, उसके बारे में ही शंका होती है कि उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कोई वर्दी बनाना चाहे तो उसके लिये कोई मुश्किल नहीं होती क्योंकि वर्दी साफ बाहर से दिखाई देने वाली चीज है।

जहां तक हमारे ऐसे हथियार बनाने का सवाल है, वह हथियार इस प्रकार ले जा कर ही बनाने की कोशिश करे यह जरूरी नहीं है। दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है।

जहां तक हमारे डिफेंस फोर्सेज के पास जो हथियार हैं या दूसरे ऐम्युनिशन हैं उनकी रक्षा करने के लिये एक खास पद्धति है, उसकी एक आर्गनाइजेशन है जो इसके लिये जिम्मेदार है। मेरी समझ से पैविलियन में ऐक्जीबिशन के लिये जो हथियार रखे जाते हैं और जो हथियार प्रयोग में लाए जाते हैं, वह एक अलग बात है।

श्री रशीद मसूद : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं जनाब मंत्री जी से पूंछना चाहूंगा कि इनकी बात से यह तो साफ जाहिर नहीं हो रहा है कि एफ०आई०आर० और जो तफतीश हो रही है वह आई०पी० सी० के किस दफात के तहत हो रही है। क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं ? अगर किया गया है तो उनको किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है ?

दूसरे जैसा राम अवधेश सिंह जी ने कहा है यह तीन घंटे बाद मिल गए, इससे तो लगता है कि यह ऐफिशियेंसी का काम हुआ है। लेकिन जो स्टेनगन का माडल है, यह बेटरमेंट के लिये होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीन घंटे में इस माडल की नकल ले ली गई हो और आतंकवादियों और दूसरी फोर्सेज और दूसरे मुमालिक से इस तरह के हथियार बनाने की बात हुई हो ? तीन घंटे के बाद जो इंक्वायरी हुई है उससे तो यह साबित नहीं होता है कि जो बाहर की फोर्सेज हैं वे हमार हथियारों की नकल करके इस किस्म के हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं।

श्री शिवराज पाटिल : एफ०आई०आर० का मतलब होता है, फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट। जब वारदात होती है तो पुलिस के पास जो रिपोर्ट लिखाई जाती है उसको एफ०आई० आर० कहा जाता है। किस सेक्शन में, किस दफे में उनको गिरफ्तार किया जाता है, यह पुलिस का काम है...

श्री रशीद मसूद : एफ०आई०आर० और मुकदमे में फर्क होता है।

श्री शिवराज पाटिल : यह सेक्शन लगाना पुलिस का काम है और कोर्ट का काम होता है। यह आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आता है।

MR. CHAIRMAN: You don't alow the Minister to reply. What is this? you put a question, and then go on speaking.

श्री रशीद मसूद : यहां पर जो वारदात हुई है वह हथियार चुराने के सम्बन्ध में और ऐटेम्प्ट टु कमिट थैफ्ट की है, यह किस सेक्शन में आयेगी...

MR. CHAIRMAN: Nothing of what they say will go on record. The Minister will reply.

श्री शिवराज पाटिल : श्रीमन्, यह समझ का फर्क है। वह माडल हथियार नहीं थे, वह सेक्शनाइज्ड, थे कटे हुये थे। उसके ऊपर दूसरा हथियार बनाने का सवाल मेरे ख्याल से नहीं आता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक महीने से अधिक इस चोरी को, इस थैफ्ट को हो गया है। कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहा है और इतना विलम्ब होने के इसमें क्या कारण हैं ?

श्री शिवराज पाटिल : तिलक रोड पुलिस स्टेशन के जो पुलिस अधिकारी हैं वहां एफ०आई०आर० लाज हुई, वहां के अधिकारी इसकी इंवैस्टिगेशन कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से मैं इस बारे में अधिक नहीं कह सकता।

Vigilance against infiltrations from Pakistan

*44. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of cases of infiltration from Pakistan since January this year; and

(b) what steps have been taken to maintain maximum vigilance by the security forces and the administrative machinery to ensure that no one crosses over from Pakistan and the Pak-occupied Kashmir for subversive activities?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): (a) 2774 infiltrators were apprehended by security forces on Indo-Pak border during the period from 1.1.1986 to 31.8.1986. While 521 were handed over to State Police authorities for taking necessary action, the remaining 2253 were sent back.

(b) The security forces on the Indo-Pak border are on alert. Measures taken for strengthening surveillance along the border include : strengthening of BSF, establishing additional border outposts, construction of observation post towers and providing increased mobility to border patrols, etc.

श्री नरेश सी० पुगलिया : मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो कहा है कि पिछले 8 महीनों में 2774 घुसपैठिये पकड़े गये जिनमें से 521 को संबंधित राज्य सरकारों के पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया गया है। लेकिन मैं यह जानकारी माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन 521 लोगों को जिनको सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंपा गया है इस में से कितने स्मगलर हैं, कितने आतंकवादी हैं और कितने लोगों को जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है और संबंधित राज्य सरकारों ने इनके विरुद्ध कौन-कौन से जुर्म में अदालतों में केस पेश किये हैं ?

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, अगर मूल प्रश्न को देखें तो हम इस प्रकार से हर एक केस के बारे में माननीय सदस्य ने सूचना नहीं मांगी थी लेकिन फिर भी जो हमने राज्य सरकारों को पकड़वाए हैं जिनको पुलिस थानों में दे दिया गया है उनके ऊपर इन्क्वायरी कर के आरोप लगा सकते हैं क्योंकि जो इनफिल्ट्रेटर होते हैं जैसे बार्डर सिक्युरिटी फोर्स उनको पकड़ती है उसी वक्त उनको संबंधित ला एनफोर्सिंग एजेन्सीस को दे दिया जाता है। पहले से सूचना जब तक न हो यह कहना कठिन होगा कि इन में से कौन स्मगलर था, कौन चोर था, कौन आतंकवादी था। यह इन्क्वायरी के बाद किया जाता है और फिर उसके ऊपर केस चलाया जाता है।

श्री नरेश सी० पुगलिया : मान्यवर, इसी प्रकार से घुसपैठ बंगलादेश से पश्चिम बंगाल की ओर होती थी और उसके लिये केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने इस घुसपैठ को रोकने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई थी जिसमें हमारे गृह मन्त्रालय के, विदेश मन्त्रालय के अधिकारी थे उसी प्रकार से संबंधित राज्य के मुख्य सचिव का समावेश था तथा बी०एस०एफ० के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। इसी प्रकार से पाकिस्तानी के बार्डर से जो बड़े